


II/अपील/रीवा/2018/02400

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



मो० शहीद अंसारी उम्र 50 वर्ष तनय श्री हाजी अब्दुल अजीज अंसारी निवासी
मोहल्ला कटरा रीवा म0प्र0 एवं ग्राम करहिया नं-1 तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0

--अपीलार्थी

बिरुद्ध

नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आयुक्त, कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा म0प्र0

~~अपील भुगतान मिश्रा~~
तारीख १२-५-१८
(मर)

----प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता
1959ई0 बिरुद्ध आदेश अपर कमिशनर रीवा श्री बी.
एस.कुलेश जो प्रकरण क्रमांक 834/अपील/2017-18
मे पारित।

मान्यवर,

अपील अव्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.02.18 जिसके द्वारा संक्षिप्ततः दायर बिन्दु पर, प्रथम अपील निरस्त की गई एवं कलेक्टर साहब रीवा का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.03.17 कायम रखा विधि विधान के प्रतिकूल है।
2. पत्रावली तलब किए बिना व अपीलांट को सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना अपीलांट के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि नं-1043

(६७)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 आदेश पृष्ठ
 भाग - अ

II / अपील / भू.रा. / रीवा / 2018 / 2400

मो० शहीद अंसारी

विरुद्ध

नगर पालिका निगम

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 20-6-2018 | <p>आवेदक अभिभाषक श्री मुनेन्द्र मिश्रा ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p><i>mm/20/6/16</i> (आर० के मिश्रा) सदस्य</p>  | |